



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नगीना देहात

दिनांक 28.03.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 57 / 24 धारा 323 / 324 / 325 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 26.02.2024 को वादी श्री तहसीन अहमद पुत्र मो0 शफी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण इदरीश आदि 04 नफर द्वारा सनाऊल को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों व धारदार हथियार से वार किया जिससे वह घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 57 / 24 धारा 323 / 324 / 325 / 506 भादवि बनाम 1.इदरीश 2.लियाकत पुत्रगण मजीद 3. समद पुत्र सद्दीक 4.अहसान पुत्र इश्हाक पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही —

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 57 / 24 धारा 323 / 324 / 325 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त इदरीश पुत्र मजीद निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इदरीश के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में अभियोग में धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. इदरीश पुत्र मजीद निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

1— 01 अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1— उ0नि0 श्री बल्लू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2— हे0का0 728 धर्मेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 28.03.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फरमान पुत्र शौकत निवासी मौ० मछली बाजार कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 156/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फरमान पुत्र शौकत निवासी मौ० मछली बाजार कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1-एक अवैध तमंचा 315 बोर

2-02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री भारत सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- हे०का० 647 यशवीर राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 28.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	रामरतन पुत्र लल्लू सिंह नि० ग्राम बसन्तपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2	चांदपुर	देशराज पुत्र धरम सिंह नि० ग्राम बसन्तपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3	नहतौर	मदन पुत्र टीकाराम नि० ग्राम नारायनखेड़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4	नजीबाबाद	नूर मौ० खुमरे पुत्र इब्राहिम नि० ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



थाना चांदपुर



थाना नहतौर



थाना नजीबाबाद



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल

दिनांक - 28.03.2024

थाना नांगल पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 150 ग्राम चरस सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण -

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नांगल पुलिस द्वारा अभियुक्त फुरकान पुत्र कामिल नि० ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को 150 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नांगल पर मु०अ०सं० 74/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभि०



फुरकान पुत्र कामिल थाना नांगल का हिस्ट्रीशीटर अभि० है । जिसके विरुद्ध थाना नांगल, को० देहात, मण्डावली व किरतपुर पर एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है जिसका हिस्ट्रीशीट नं०- 29/A है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फुरकान पुत्र कामिल नि० ग्राम दहीरपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण -

150 ग्राम चरस

अभियुक्त फुरकान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 88/2017 धारा 392/411 भादवि थाना को० देहात जनपद बिजनौर ।
2. मु०अ०सं० 154/2017 धारा 384 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
3. मु०अ०सं० 206/2017 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।
4. मु०अ०सं० 251/2017 धारा 392/411 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु०अ०सं० 261/2017 धारा 307 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
6. मु०अ०सं० 264/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।
7. मु०अ०सं० 65/2019 3/5/8 गौवध अधि० थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
8. मु०अ०सं० 69/2020 धारा 60 आबकारी अधि० थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
9. मु०अ०सं० 180/2020 धारा 3/5/8 गौवध नि० अधि० थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।
10. मु०अ०सं० 20/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
11. मु०अ०सं० 46/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।

12. मु०अ०स० 113/2021 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

13. मु०अ०स० 14/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० देवदत्त गोड थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

2. आरक्षी 1878 अंकित सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर ।

3. आरक्षी 299 सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 28.03.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260 / 24 धारा 498ए / 304बी / 323 / 506 भादवि व धारा 3 / 4 दहेज अधि0 में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2024 को वादी श्री मौ0 हनीफ पुत्र अ0 रहमान नि0 ग्राम समसपुर खोडा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को उसके ससुराल वालो द्वारा दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट करते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 260 / 24 धारा 498ए / 304बी / 323 / 506 भादवि व 3 / 4 दहेज अधि0 बनाम 1.अफजाल 2.गुलजार 3.परवेज 4.सुबहान पुत्रगण अय्यूब 5.रानी 6.हीना पुत्री अय्यूब 7.सईदा पत्नी अय्यूब 8.अय्यूब पुत्र अ0 हमीद 9. शाहरूख आदि 09 नफर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 260 / 24 धारा 498ए / 304बी / 323 / 506 भादवि व 3 / 4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.अय्यूब पुत्र अब्दुल हमीद 2.सईदा पत्नी अय्यूब नि0गण ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.अय्यूब पुत्र अब्दुल हमीद नि0 ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.सईदा पत्नी अय्यूब नि0 ग्राम झलरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- हे0का0 850 नीरज कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3- म0हे0का0 350 विजेता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नांगल

दिनांक 28.03.2024

थाना नांगल पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/24 धारा 323/325/307/427/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.03.2024 को वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र नाथेराम सिंह नि0 खानपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.बिजेन्द्र पुत्र ऋषि 2.प्रदीप पुत्र बिजेन्द्र 3.सुमित पुत्र बिजेन्द्र 4.राहुल पुत्र सरेश नि0गण ग्राम नांगल बिजनौर ने वादी के भाई की दुकान में घुसकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो से मारपीट की जिससे वादी के भाई श्यामसुंदर को चोटे आयी। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 56/24 धारा 323/325/307/427/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/24 धारा 323/325/307/427/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र ऋषि नि0 ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बिजेन्द्र पुत्र ऋषि निवासी ग्राम व थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- का0 93 राकेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- का0 1211 संजय सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंड़ावर

दिनांक- 28.03.2024

थाना मंड़ावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त रासुदेव पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम रायपुर बेवासाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0स0 117/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम रासुदेव उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

रासुदेव पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम रायपुर बेवासाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 कुँवरपाल सिंह थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 1386 अंकुश सरोहा थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली

दिनांक – 28.03.2024

थाना मण्डावली पुलिस ने मु0अ0सं0 34/2024 धारा 363/376 भादवि, 3(2)(va) एससी/एससी एक्ट व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.03.2024 को वादी द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 06.03.2024 को अभियुक्त अमित पाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामदासवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 34/2024 धारा 363 भादवि व धारा 3(2)(va) एससी/एससी एक्ट बनाम अमित पाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । दिनांक 07.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 34/2024 धारा 363/376 भादवि, 3(2)(va) एससी/एससी एक्ट व धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अमित पाल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम रामदासवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित पाल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामदासवाली थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार राणा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 833 अंकुर दूहण थाना मण्डावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 28.03.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 117/24 धारा 452/307/323/504/326 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त फावड़े सहित किया किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.03.2024 को वादी श्री नीरज कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी ग्राम रूपपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 23.03.2024 को अभियुक्त सुमित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रूपपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने वादी के घर में घुसकर गाली – गलौच करते हुए वादी के पिता सतीश कुमार के ऊपर धारधार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे वादी के पिता को गम्भीर चोटें आयी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 117/24 धारा 452/307/323/504 भादवि बनाम सुमित उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 326 भादवि की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 117/24 धारा 452/307/323/504/326 भादवि में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रूपपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुमित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रूपपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 07 नितेश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 28.03.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 73/2024 धारा 306 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.03.2024 को वादिनी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 17/18.03.2024 को शाम के समय वादिनी का पुत्र अपनी महिला दोस्त से सडक किनारे खडे होकर बात कर रहा था, जिन्हे सोनिया थापा उर्फ डोली पत्नी देवेन्द्र निवासी ग्राम ढकिया बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने बातें करते हुए देख लिया तथा गांव में शोर मचा दिया कि ये दोनो गलत काम कर रहे थे । अभियुक्ता सोनिया थापा उर्फ डोली वादिनी के पुत्र को बलात्कार का झूठा आरोप लगाते हुए प्रताडित करने लगी, जिस कारण वादिनी का पुत्र मानसिक तनाव में आ गया तथा उसने दिनांक 23.03.2024 को आत्महत्या कर ली । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 306 भादवि बनाम सोनिया थापा उर्फ डोली पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता सोनिया थापा उर्फ डोली पत्नी देवेन्द्र निवासी ढकिया बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

सोनिया थापा उर्फ डोली पत्नी देवेन्द्र निवासी ढकिया बावन सराय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 बबलू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0 कां0 728 धर्मेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 3.म0 कां0 697 डोली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 28.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	रामरतन पुत्र लल्लू सिंह नि० ग्राम बसन्तपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2	चांदपुर	देशराज पुत्र धरम सिंह नि० ग्राम बसन्तपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3	नहतौर	मदन पुत्र टीकाराम नि० ग्राम नारायनखेड़ी थाना नहतौर जनपद बिजनौर



थाना चांदपुर



थाना नहतौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 28.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र मनसुख नि0 ग्राम सदरुदीनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया या । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 134/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

विपिन कुमार पुत्र मनसुख नि0 ग्राम सदरुदीनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. का0 1356 अंकित चौहान थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. का0 1813 आदित्य मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 28.03.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/24 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.02.2024 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त कासिम पुत्र शकील आदि 02 नफर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 56/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.02.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/24 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त कासिम पुत्र शकील नि0 ग्राम रोशनगढ बहेडी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त समी पुत्र अब्दुल रऊफ नि0 ग्राम रोशनपुर बेहडी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.कासिम पुत्र शकील नि0 ग्राम रोशनगढ बहेडी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2-हे0का0 201 भूप सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 28.03.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 103/24 धारा 307/341/504 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त कैंची सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.03.2024 को वादी मौ0 आमिर पुत्र मौ0 ताहिर निवासी मौ0 जैनुलाबदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.फैजान 2.धोनी 3.अकबर पुत्रगण तनवीर 4.तनवीर पुत्र मौ0 आकिल निवासीगण मौ0 जैनुलाबदीन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पिता को रास्ते मे रोककर गाली – गलौच की गयी तथा अभियुक्त अकबर व धोनी ने वादी के पिता के पेट में कैंची से वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 307/341/504 भादवि बनाम फैजान आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.मौहम्मद फैसल उर्फ धोनी 2.फैजान पुत्रगण तनवीर निवासीगण मौहल्ला जैनुलाबदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त कैंची सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.मौ0 फैसल उर्फ धोनी पुत्र तनवीर नि0 मौ0 जैनुलाबदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.फैजान पुत्र तनवीर निवासी मौ0 जैनुलाबदीन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त कैंची

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.कां0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर